प्रेस नोट दिनांक 28.12.2025

थाना बारादरी जनपद बरेली।

<u>थाना बारादरी पुलिस व परिक्षेत्रीय साइबर थाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के फर्जी बेव साइट बनाकर विश्वविद्यालय के नाम से फर्जी डिग्रियां तैयार करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर एक अभियुक्त की गिरफ्तारी व लैपटॉप/मोबाइल आदि की बरामदगी के सम्बन्ध में।</u>

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण/परिचयः-</u>

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली के कोऑर्डिनेटर डॉ0 अख्तर हुसैन के द्वारा उच्चाधिकारी गण को सूचना दी गयी कि उनके विश्वविद्यालय का नाम व प्रतिष्ठा का दुरप्रयोग करने वाली एक नकली बेवसाइट www.mjpru.org.in के नाम से बनाकर आधिकारिक बेवसाइट की नकल करते हुए विभिन्न सूचनाऐ एवं सामग्री अपलोड की जा रही है, जिससे छात्रो ,अभिभावको व जनसाधारण में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है । जिस कारण विश्वविद्यालय की शाख को छति पंहुच रही है । उक्त प्रा0 पत्र पर उच्चाधिकारी गण के निर्देशके क्रम में थाना बारादरी पर मु0अ0सं0 1589/2025 धारा 318(4) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचना चौकी प्रभारी रूहेलखण्ड द्वारा की जा रही थी। अभियोग पंजीकरण के बाद श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय द्वारा विवेचक एवं साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज सिंह को घटना का शीघ्र अनावरण कर अभियुक्तो की गिरफ्तारी करने के निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में चौकी प्रभारी रूहेलखण्ड एवं साइबर सैल प्रभारी एवं उनकी टीम द्वारा फर्जी बेवसाइट www.mjpru.org.in के सम्बन्ध में बेवसाइटसकी डोमेन प्रोवाइडर कम्पनी hostinger से फर्जी बेवसाइट के लिंक की डिटेल प्राप्त की गयी। कम्पनी द्वारा जो लिंक व मेबाइल नम्बर उपलब्ध कराया गया, उस नम्बर का धारक सुजय राय पुत्र सुकुमार राय निवासी संजय नगर खेडा निकट बसंती मन्दिर थाना रूद्रपुर ट्रान्जिट कैण्ट जनपद ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड है। प्रोवाइडर कम्पनी द्वारा उक्त फर्जी डोमेन की पैमेन्ट डिटेल भी उपलब्ध करायी गयी, जिसमें जांच एवं इलैक्ट्रोनिक साक्ष्य से उक्त फर्जी डोमेन पेमेंट डिटेल आईडी का उपयोग सुजय राय एवं धर्मेन्द्र कुमार पुत्र द्वारिक प्रसाद निवासी कनकपुर खजुरिया जनपद रामपुर पाया गया। जांचकर्ता टीम द्वाराव इलैक्ट्रोनिक साक्ष्य एवं दस्तावेज से स्पष्ट हो जाने के बाद कि उपरोक्त दोनो व्यक्तियो द्वारा ही फर्जी बेवसाइट विश्वविद्यालय की बनाकर फर्जी डोमेन की पेमेन्ट डिटेल तैयार कर उपयोग किया जा रहा है । संयुक्त टीम बनाकर लोकेशन के आधार घटना में प्रकाश में आये अभियुक्त सुजय राय पुत्र सुकुमार राय उपरोक्त को वॉयज हास्टल रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के बाहर मैन गेट के पास से पकडा गया। जबकि उसके साथ खडा दूसरा व्यक्ति धर्मेन्द्र कुमार उपरोक्त अन्धेरे का फायदा उठाकर भाग गया। पकडे गये अभियुक्त के पास से एक इन्फिनिक्स कम्पनी का मल्टीमीडिया मोबाइल जिसमें संदिग्ध नम्बर जो हॉस्टिंगर कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराया गया था चलता हुआ पाया गया। साथ में मिले पिट्ठू बैग में से एक लैपटॉप डेल कम्पनी एवं दो फर्जी डिग्री की छायाप्रति जिस पर एमजीपीआरयू लिखा है, बरामद हुई। पकडे गये अभियुक्त से आवश्यक पूछताछ कर उसका यह कार्य अन्तर्गत धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 66सी/66डी आईटी एक्ट का अपराध पाकर व बताकर बाकायदे दिनांक 27.12.2025 को देर शाम गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को पूर्व पंजीकृत अभियोग में उपरोक्त धाराओ की बढौत्तरी कर रिमाण्ड हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

<u>घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरणः-</u>

मु0अ0स0 1589/2025 धारा 318(4) बीएनएस बनाम अज्ञात थाना बारादरी बरेली प्रकाश से 1. सुजय राय पुत्र सुकुमार राय निवासी संजय नगर खेडा निकट बसंती मन्दिर थाना रूद्रपुर ट्रान्जिट कैण्ट जनपद ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड 2. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र द्वारिक प्रसाद निवासी कनकपुर थाना खजुरिया जनपद रामपुर आया जिसमें धारा 319(2)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 66सी/66डी आईटी एक्ट की बढौत्तरी कर अभियुक्त सुजय राय उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया ।

पूछताछ एवं अभियुक्त का विवरण (जैसे कि वह कहाँ का रहने वाला है, कितना पढ़ा-लिखा है,पूर्व में/वर्तमान क्या करता/करती है, घटना स्थल किस तरह पहुँचा और अपराध में संलिप्त करने का कारण आदि)-

अभियुक्त सुजय राय से पूछताछ करने पर जानकारी हुई कि वह बी0टेक0 पास है । जब कही उसका किसी व्यवसाय में मन नही लगा तो उसी दौरान उसकी मुलाकात धर्मेन्द्र कुमार पुत्र द्वारिका प्रसाद से हुई और दोनो ने मिलकर फर्जी बेवसाइट जो ऑरिजनल बेवसाइट से मेल खाते हुए बनाया था । इस बेवसाइट को बनाने का हम दोनो का मुख्य मकसद विदेश जाने के इच्छुक लोगो को स्टूडेन्ट बीजा तैयार कर और उनसे मोटा पैसा कमाने के लिए था । पहले तो हम एमजीपीआरयू जैसी दिखने वाली फर्जी मार्कशीट एवं अन्य कोर्स की डिग्री तैयार करते है और फिर स्टूडेन्ट बीजा के लिए आवेदन करते समय हम इम्बेसी विश्वविद्यालय की बेवसाइट के रूप में अपनी फर्जी बेवसाइट का यूआरएल दे देते है ताकि वेरिफिकेशन के समय सम्बन्धित संस्थाये रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के नाम पर हमसे सम्पर्क करती है और इस तरह हम उन्हे स्टूडेन्ट बीजा बनाकर विदेश भेज देते है ।इसके बदले हमें अच्छा पैसा प्राप्त होता है । ऑरिजनल मार्कशीट व प्रमाण पत्र के सादृश्य फर्जी मार्कशीट व प्रमाण पत्र बनाने के लिए अक्सर हम लोग रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय में पढने वाले लडको से हॉस्टल या कही अन्य स्थान पर मिलकर उनके ऑरिजनल सर्टीफिकेट आदि को ध्यान से देखकर या उसका फोटो मोबाइल में लेकर रखते है । अब तक इन दोनो व्यक्तियो के द्वारा कितने लोगो को स्टूडेन्ट बीजा पर विदेश भेजा गया है या कितने फर्जी मार्कशीट बगैरा तैयार किया गया है इसकी जानकारी की जा रही है । नियमानुसार उसमें भी कार्यवाही की जायेगी ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व अपराधिक इतिहासः –

1. सुजय राय पुत्र सुकुमार राय निवासी संजय नगर खेडा निकट बसंती मन्दिर थाना रूद्रपुर ट्रान्जिट कैण्ट जनपद ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड उम्र 28 वर्ष

मु0अ0सं0 1589/2025 धारा 318(4)/319(2)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 66सी/66डी आईटी एक्ट थाना बारादरी बरेली

फरार अभियुक्त का विवरणः-

2. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र द्वारिक प्रसाद निवासी कनकपुर थाना खजुरिया जनपद रामपुर

मु0अ0सं0 1589/2025 धारा 318(4)/319(2)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 66सी/66डी आईटी एक्ट थाना बारादरी बरेली

मु0अ0सं0 067/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट थाना पूरनपुर पीलीभीत

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरणः-

- प्रभारी निरीक्षक श्री धनन्जय कुमार पाण्डेय थाना बारादरी बरेली ।
- निरीक्षक श्री नीरज कुमार सिंह प्रभारी परिक्षेत्रीय साइबर थाना बरेली
- उ0नि0 मनीष भारद्वाज चौकी प्रभारी रुहेलखण्ड थाना बारादरी बरेली ।
- उ0नि0 अंकित सिंह चौहान परिक्षेत्रीय साइबर थाना बरेली ।
- उ0नि0 गुरमीत सिंह तोमर परिक्षेत्रीय साइबर थाना बरेली ।
- का0 276 अंकुर कुमार थाना बारादरी बरेली ।
- का0 3441 नवीन कुमार थाना बारादरी बरेली ।